का समाधान खोजने पर विचार-विमर्श कर रही है । समिति ने वर्ष 1990 के दौरान दो बैठकें एक अप्रैल में नई दिल्ली में तथा दूसरी सितम्बर में मद्रास में की है । इन बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये गये कि इन समस्याओं को शांति पूर्ण ढंग से हल करना होगा और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल खोजना होगा तथा ऐसा कुछ नहीं किया जाय जिससे देश में पहले से ही भड़की हुई सांप्रदायिक तनाव और भड़के ।

राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिये गृह मंत्रालय में एक योजना चलाई जा रही है जिसके अधीन इस प्रयोजन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को देश के विभिन्न भागों में समारोह और गोष्ठियां आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है ।

देश में सांप्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने और सांप्रदायिक सद्भावना को बढावा देने को ध्यान में रखते हुये इस बारे में विस्तृत उपाय किरने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अप्रैल, 1990 में दिशा निर्देश जारी किये गये थे । उत्तेजनाजनक भाषण, लेख इत्यादि जिनसे देश में सांप्रदायिकता का माहौल खराब होता हो, की रोकथाम करने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अगस्त, 1990 में सुझाव भेजे गये हैं ।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का गृह मंत्रालय प्रबोधन कर रहा है । इनमें विशेष अदालतों को स्थापित करना, दंगा पीड़ितों को राहत देना, अल्पसंख्यकों को पुलिस इत्यादि में भर्ती करना, शामिल है ।

**Efficiency bar and promotions in Indian Statistical Service**

1471. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3102 given in the Rajya Sabha on the 4th September, 1990 and state what was the period of different efficiency bars in Indian Statistical Service, Grade IV and Grade III and also in Junior Administrative Grade as on the 1st December, 1990?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): Efficiency Bar is a stage provided in certain scales of pay at which the fitness of the officer to cross it is ascertained before the next increment is released. In the Indian Statistical Services, Efficiency Bar is provided only in Grade IV, the scale of pay of which is Rs. 2200-75-2800-EB-1004000.

**अहीर और गुर्जर समुदायों को आरक्षण सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में उप प्रधान मंत्री की घोषणा**

1472. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :**
**कुमारी घंटिका प्रेमजी केनिया :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहीर और गुर्जर समुदायों को भी आरक्षण सूची में सम्मिलित किया जा रहा है जैसा कि उप प्रधान मंत्री, श्री देवी लाल ने हाल में एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की घोषणा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सार्वजनिक सभा में उप प्रधान मंत्री ने यह घोषणा भी की थी कि आरक्षण का लाभ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को भी दिया जाएगा और आरक्षण का यह लाभ एक परिवार को केवल एक बार दिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका आधार क्या होगा और यह घोषणा किस नीति के अन्तर्गत की गई है ?